न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

<u>पंचायत निगरानी संख्या 01 / 2015</u>

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. रमेश कुमार पुत्र मुकनचन्द 2. सतीश कुमार पुत्र मुकनचन्द जाति ओसवाल निवासी गांव भीमड़ा तहसील बायतु हाल निवासी छत्रियो का मोर्चा, गायत्री मंदिर के पास, बालोतरा जिला बाड़मेर		1. सरपंच ग्राम पंचायत भीमड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर 2. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत भीमड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 बाबत् संकल्प संख्या दिनांक 5.7.2013 जरिये पट्टा संख्या 1 व 4 द्वारा ग्राम पंचायत भीमड़ा पंचायत समिति बायतु जिला बाड़मेर

उपस्थितः– 1. श्री मुकेश जैन अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. विप्रार्थी संख्या 01 व 02 एकतरफा

निर्णय **दिनांक 28.02.2017**

1. प्रार्थीगण ने यह निगरानी ग्राम पंचायत भीमड़ा द्वारा प्रार्थीगण के नाम जारी क्रमशः पट्टा संख्या 01 दिनांक 05.07.2013 व पटटा संख्या 04 दिनांक 05.07.2013 में कब्जे से कम भूमि का पट्टा जारी करने के कारण वास्तविक कब्जे अनुसार भूमि के पट्टे जारी करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थीगण की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के पिता स्व. मुकचन्द का करीब 65 वर्ष पुराना कब्जा सुदा रहवासीय भूखण्ड ग्राम भीमड़ा की पुरानी आबादी भूमि में स्थित है, जिसका क्षैत्रफल करीब 16,000 वर्ग फीट है, जिसके उतर दिशा में रामावि भीमड़ा, दक्षिण में ग्रेवल सड़क, पूर्व दिशा में मांगीलाल का भूखण्ड व मकान तथा रामावि भीमड़ा की चारदीवारी एवं पश्चिम में ग्रेवल रोड़ है। स्व. मुकनचन्द ने इस पुराने रहवासीय मकान का पटटा नहीं बनाया था। मुकनचन्द के फौत होने के बाद उक्त रहवासीय भूखण्ड का पट्टा

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

बनाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रशासन गांवो के संग अभियान के दौरान् उपखण्ड अधिकारी बायतु को एवं ग्राम पंचायत भीमड़ा को निवेदन करने एवं उच्च अधिकारियों को शिकायते करने पर ग्राम पंचायत भीमड़ा द्वारा दिनांक 5.7.2013 को प्रार्थी संख्या 01 व 02 के नाम से दो अलग–अलग पट्टे तैयार किये। पट्टा संख्या 01 दिनांक 5.7.2013 (नवीनीकरण दिनांक 21.01.2014) रमेश व सतीश के पक्ष में कुल 7077 वर्गफीट एव पट्टा संख्या 04 दिनांक 5.7.2013 (नवीनीकरण दिनांक 20.1.2014) रमेश व सतीश के पक्ष में कुल 4248 वर्गफीट का जारी किया गया। प्रार्थीगण की 16000 वर्गफीट भूमि में से 40 गुणा 40 फीट की भूमि चबूतरे के लिए रिजर्व रखी गई एवं लगभग 3075 वर्गफीट भूमि को छोड़कर उपरोक्त पट्टे जारी किये गये। प्रार्थीगण द्वारा उक्त चबूतरे के लिए रिजर्व रखी गई भूमि एवं 3075 वर्गफीट छोड़ी गई भूमि का पट्टा जारी करने हेतु निगरानी हमारे समक्ष पेश की गई है।

3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत भीमड़ा से निगरानी से संबधित रेकर्ड तलब किया। विप्रार्थी संख्या 01 व 02 नोटिस तामील के बाद भी हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थीगण की ओर से श्री मुकेश जैन अधिवक्ता उपस्थित हुए।

4. बहस के दौरान् प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क हैं कि प्रार्थीगण का रहवासीय भूखण्ड 16000 वर्गफीट पर कब्जा का है, जबकि ग्राम पंचायत भीमड़ा द्वारा प्रार्थीगण को क्रमशः 7077 वर्ग फीट एवं 4248 वर्गफीट के दो पट्टे जारी किये गये है। इस संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 5.7.2013 मनमाना एवं नियमों के विपरीत होने से प्रस्ताव में संशोधन किया जाना उचित है। पट्टा संख्या 04 में वर्णित कबूतरो का चबूतरा के संशोधन हेतु निगरानी स्वीकार की जाकर, इस भूमि का पट्टा प्रार्थीगण को दिलाने के आदेश जारी किये जावें।

5. हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता सुना। ग्राम पंचायत भीमड़ा के रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण का यह कथन कि उसके कब्जे में स्थित भूखण्ड का कुल नाप 16000 वर्ग फीट है और उसे 7077 वर्ग फीट एवं 4248 वर्गफीट के दो पट्टे जारी किये गये है, जिनका कुल नाप 11325 वर्गफीट है, इस प्रकार प्रार्थीगण के कब्जा की 4675 वर्गफीट भूमि का पट्टा जारी नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने रहवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी करने हेतु जो आवेदन पत्र ग्राम पंचायत भीमड़ा में पेश किये गये, उसमें भूखण्ड का नाप नहीं लिखा गया

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

एवं आवेदन पत्र के संलग्न् प्रस्तुत नक्शा के अनुसार ग्राम पंचायत भीमड़ा द्वारा उक्त पटटे जारी किये गये। पट्टा जारी करने से पूर्व प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत को आवेदन पत्र पेश किये गये ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गई। मौका कमेटी से मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश हुए एवं मौका निरीक्षण कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। मौका कमेटी ने नियम 146 के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड़ में वर्णित बिन्दूओं पर अपनी रिपोर्ट दी। तत्पश्चात नियम 148 के तहत निर्धारित प्रारूप मे एक माह का नोटिस जारी कर आपत्तियॉ आमंत्रित की गई, परन्तु किसी भी व्यक्ति ने इस संबंध मे कोई आपत्ति ग्राम पंचायत भीमड़ा के समक्ष पेश नहीं की। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत भीमड़ा द्वारा प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 5.7.2013 पारित कर नियम 157(1)(क) के तहत पट्टे जारी करने का निर्णय लिया गया। इन नियमों के परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नक्शा मे दर्शाये गये पड़ोस व नाप एवं रहवास के अनुरूप ग्राम पंचायत भीमड़ा ने प्रार्थीगण को दिनांक 07.07.2013 को पट्टा संख्या 01 व 04 जारी किये है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ग्राम पंचायत भीमड़ा ने निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर, नियमों में अंकित प्रावधानों को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थीगण के हक में नियम नियम 157 (क) के तहत संकल्प संख्या 06 दिनांक 5.7.2013 के अनुसरण में दिनांक 7.7.2013 को पट्टा संख्या 01 व 04 जारी कर दिये गये है, अतः न्यायालय स्तर से अब कोई राहत शेष नहीं है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण की निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 28.02.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)